कार्यालय अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(An Institute Under Government of Madhya Pradesh)

Email: deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com दूरभाष – 07162-297009

क्रमांक / अधिष्ठाता / सिम्स / 2025 / 12547 छिन्दवाड़ा, दिनांक– 03/11/2025

–: नोटिस इन्वाइटिंग कोटेशन :–

छिंदवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिंदवाड़ा चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में जल आपूर्ति हेतु पूर्व से स्थापित बोरवेल हेतु एक 01 नग नवीन **सबमर्सिबल मोटर पंप 7.5 HP/10 State 3 Phase 440 Volt** (इंस्टॉलेशन सहित) एवं सम्बद्ध चिकित्सालय जिला चिकित्सालय में स्थापित दो सी.आर. (कम्प्यूटराईज्ड रेडियोग्राफी) सिस्टम हेतु **02 नग 3 के.व्ही.ए. (96 V) ऑनलाईन यू.पी.एस.** (इंस्टॉलेशन सहित) क्रय किया जाना है।

उक्त हेतु इच्छुक एजेंसी / फर्म / क्लास 'ए' इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर से मुहरबंद कॉटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। कोटेशन जमा करने की प्रारंभ दिनांक–04 / 11 / 2025 एवं समाप्ति दिनांक–11 / 11 / 2025 शाम 4:00 बजे तक है।

सामान्य नियम एवं शर्तेः–

1. दिनांक–11 / 11 / 2025 तक सिम्स महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में उक्त कार्य हेतु इच्छुक एजेंसी / फर्म / क्लास 'ए' इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर को मुहरबंद कॉटेशन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. कोटेशन को निर्धारित प्रारूप में अधिकृत एजेंसी / फर्म / क्लास ए इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। केवल क्लास 'ए' इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर ही कार्य करने हेतु अधिकृत होंगे (विद्युत क्लास 'ए' का लाइसेंस अनिवार्य है) एवं क्लास 'ए' कॉन्ट्रेक्टर के कॉटेशन / निविदा ही मान्य होगी।
3. कॉटेशन एक शीलबंद लिफाफे में होना चाहिए जिस पर इन्क्वायरी रिफरेंस नंबर अंकित होना अनिवार्य है।
4. दर (प्राइस विड) निर्धारित प्रपत्रों में भरकर स्वहस्ताक्षरित कर संस्था में जमा करना अनिवार्य है।
5. समस्त दरों को माल ढुलाई शुल्क, बीमा, इन्स्टॉलेशन चार्ज समेत दर प्रपत्र में भरना होगा।
6. समस्त कोटिड दर कॉटेशन ऑपन होने की तारीख से 180 दिन तक वैध होगी।
7. एल 1 (न्यूनतम दर) कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट के आधार पर निर्धारित की जाएगी एवं न्यूनतम दर कार्यादेश जारी करने हेतु बाध्य नहीं होगी।
8. कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से अधिकतम 07 दिवस होगी।
9. यदि अधिकृत एजेंसी / फर्म / क्लास ए इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण करने में असफल होता है तो संस्था को उचित कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

भुगतान की शर्ते–

10. निर्धारित समय के भीतर एजेंसी / फर्म / क्लास ए इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर द्वारा कार्य को संतोषजनक तरीके से पूर्ण करने तथा संस्था के प्रतिनिधि के निरीक्षण के बाद अधिकृत एजेंसी / फर्म / क्लास ए इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर द्वारा जी.एस.टी. सम्मिलित देयक प्रस्तुत करने के पश्चात् देयकों का प्रमाणन होने के पश्चात् भुगतान किया जावेगा।
11. विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. कार्य की आवृत्ति को घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार अधिष्ठाता, छिंदवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा को होगा।
13. किसी भी कॉटेशन को बिना कारण बताए अमान्य करने का अधिकार सिम्स छिंदवाड़ा के पास सुरक्षित होगा। इस संबन्ध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

For

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छिंदवाड़ा इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिंदवाड़ा (म.प्र.)